

ई-कचरा उत्पादन

प्रलिस के लिये:

ई-कचरा

मेन्स के लिये:

ई-कचरा के कारक, प्रभाव और समापन हेतु पर्यास

चर्चा में क्यों?

14 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय ई-कचरा दिस के रूप में मनाया गया ।

- इस दिस की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी ।
- इस दिस का उद्देश्य दुनिया भर में हर साल उत्पन्न होने वाले लाखों टन ई-कचरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।
- इस साल की शुरुआत में [राष्ट्रीय हरति अधिकरण \(एनजीटी\)](#) की प्रधान पीठ ने [ई-कचरा \(प्रबंधन\) नियम, 2016](#) के कार्यान्वयन के लिये निर्देश जारी किये थे ।

अंतरराष्ट्रीय ई-कचरा दिस:

- इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय ई-अपशिष्ट दिस ई-उत्पाद सर्कुलरटी को एक वास्तविकता बनाने में प्रत्येक व्यक्तिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है ।
- [संयुक्त राष्ट्र](#) के अनुसार, 2021 तक ग्रह पर प्रत्येक व्यक्तिकी औसतन 7.6 किलोग्राम ई-कचरा पैदा करेगा, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर वर्ष में कुल 57.4 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न होगा ।
- इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे का केवल 17.4%, जो खतरनाक यौगिकों और मूल्यवान सामग्रियों का संयोजन है, को उचित रूप से एकत्र कर संसाधित और पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा ।

प्रमुख बडि

■ ई - कचरा:

- ई-कचरा इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट का संक्षिप्त रूप है और इस शब्द का प्रयोग चलन से बाहर हो चुके पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करने के लिये किया जाता है । इसमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएँ और पुर्जे शामिल होते हैं ।
- इसे दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 21 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
 - सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण ।
 - उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ।
- भारत में ई-कचरे के प्रबंधन के लिये वर्ष 2011 से कानून लागू है, जो यह अनिवार्य करता है कि अधिकृत वधितनकर्त्ता और पुनर्चक्रणकर्त्ता द्वारा ही ई-कचरा एकत्र किया जाए । इसके लिये वर्ष 2017 में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिनियमित किया गया था ।
- घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों से कचरे को अलग करने, प्रसंस्करण और निपटान के लिये भारत का पहला [ई-कचरा क्लिनिक भोपाल](#), मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है ।
- मूल रूप से [बेसल कन्वेंशन \(1992\)](#) ने ई-कचरे का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन बाद में इसने 2006 (COP8) में ई-कचरे के मुद्दों को

संबोधति कयि।

- नैरोबी घोषणा को खतरनाक कचरे के सीमा पार आवागमन के नयितरण पर बेसल कन्वेंशन के COP9 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिये अभिनव समाधान तैयार करना है।

■ ई-कचरा उत्पादन:

- इस वर्ष का अपशष्टि वदियुत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (WEEE) कुल लगभग 57.4 मिलियन टन (MT) होगा और यह चीन की महान दीवार के वजन से अधिक होगा।
- **केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोर्ड (CPCB)** के अनुसार, भारत ने 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न कयि, जो 2017-18 के 7 लाख टन से काफी अधिक है। इसके वपिरीत 2017-18 से ई-कचरा नपिटान क्षमता 7.82 लाख टन से नहीं बढ़ाई गई है।

■ भारत में ई-अपशष्टि के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ:

- लोगों की कम भागीदारी:
 - उपयोग कयि गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रीसाइकलिंग के लयि नहीं दयि जाने का एक प्रमुख कारक उपभोक्ताओं की अनचिछा है।
 - हालाँकि हाल के वर्षों में दुनयिा भर के देश प्रभावी '**राइट-टू-रपियर**' कानूनों को पारति करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **बाल श्रम की भागीदारी:**
 - भारत में 10-14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमकि वभिन्नि यार्डों और रीसाइकलिंग कार्यशालाओं में बगैर पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के वभिन्नि ई-कचरा गतविधियों में लगे हुए हैं।
- **अप्रभावी वधिन:**
 - अधिकांश राज्य प्रदूषण नयितरण बोर्ड (एसपीसीबी)/पीसीसी वेबसाइटों पर कसिी भी सार्वजनिक सूचना का अभाव है।
- **स्वास्थ्य खतरे:**
 - ई-कचरे में 1,000 से अधिक जहरीले पदार्थ होते हैं, जो मटिटी और भूजल को दूषति करते हैं।
- **प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव:**
 - असंगठित क्षेत्र के लयि ई-कचरे के नपिटान हेतु कोई स्पष्ट दशिया-नरिदेश नहीं हैं।
 - साथ ही ई-कचरे को प्रबंधति करने के लयि औपचारकि रास्ता अपनाने हेतु इस कार्य में लगे लोगों को लुभाने के लयि भी कसिी प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं कयिा गया है।
- **ई-कचरा आयात:**
 - वकिसति देशों द्वारा 80% ई-कचरा रीसाइकलिंग के लयि भारत, चीन, घाना और नाइजीरयिा जैसे वकिसशील देशों को भेजा जाता है।
- **शामलि अधिकारियों की अनचिछा:**
 - नगरपालिकाओं की गैर-भागीदारी सहति ई-अपशष्टि प्रबंधन और नपिटान के लयि ज़मिेदार वभिन्नि प्राधकिरणों के बीच समन्वय का अभाव।
- **सुरक्षा के नहितारिथ:**
 - कंप्यूटरों में अक्सर संवेदनशील वयक्तगित जानकारी और बैंक खाते के वविरण आदि होते हैं, इस प्रकार की जानकरयिों को रमिूव न कयि जाने की स्थिति में धोखाधड़ी का संभावना रहति है।

आगे की राह

- भारत में कई स्टार्टअप और कंपनयिों द्वारा अब इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करने और रीसाइकलिंग का कार्य शुरू कयिा गया है। हमें ऐसे बेहतर कार्यानवयन पद्धतयिों एवं समावेशन नीतयिों की आवश्यकता है जो अनौपचारकि क्षेत्र को आगे बढ़ने के लयि आवास और मान्यता प्रदान करें तथा पर्यावरण की दृष्टि से रीसाइकलिंग लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सहायता करें।
- साथ ही संग्रह दर को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लयि उपभोक्ताओं सहति प्रत्येक भागीदार को शामिल करना आवश्यक है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ